


फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जांबनेर

केस सं. 27/2025....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	23.4.25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रत्येक एवं इनके सम्बन्धित अनुसूचित। सुनारण से संबंधित मूल वाद अर्जित धारणा - 9 नियम - 3 धारा 40 के तहत अदालत द्वारा व अदालत पेशी में खारिज किया जा चुका है। इसीलिए प्रार्थना पर अर्जित धारा 212 P.C.A भी अदालत द्वारा व अदालत पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजदारी अदालत जांबनेर से कम होकर ग्रामिक अदालत है।</p> <p style="text-align: right;">               उपखण्ड अधिकारी              जांबनेर, जयपुर           </p>